(ग) क्या इस उपक्रम के दागदार अधिकारियों के विरूद्व 350 कर्मचारियों के हस्ताक्षारयुक्त एक ज्ञापन को प्रधानमंत्री के कार्यालय में दिया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार तमाम हालातों एवं निगम को खस्ताहाल में डालने वाले अधिकारियों के खराब कारनामों को ध्यान में रखते हुये उनकी जिम्मेदारी तय करके क्या कार्रवाई करने का विचार रखती हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) मंत्रालय द्वारा हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन के विभिन्न विभागों/इकाइंयों की कार्यप्रणाली के समग्र निष्पादन की मानीटरिंग की जाती है।

(ख) टेंडर नियुक्ति अथवा पदोन्नति के मानदंडों का गंभीर रूप से उल्लंघन करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन अधिकारी कल्याण संघ से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिस पर कार्रवाई की गई हैं।

केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग की स्थापना

1450. **श्री रमा शंकर कौशिक** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलें मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य वस्तुओं में मिलावट संबंधी समस्या से कारगर तौर पर निपटने के लिए देश के वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करने के संबंध में कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) सरकार आयोग की स्थापना करने के लिए क्या निर्णय लेने का विचार रखती हैं और कब तक?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) से (ग) दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होने माननीय मंत्री से अनुरोध किया था कि विभिन्न संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के 12 मंत्रियों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद का गठन किया जाए जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री हो अथवा कोई वरिष्ठ मंत्री हो। वह प्रस्ताव सरकार के विचारधीन हैं।

Addition of Fruit Juice by soft Drink Makers

1451. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that France requires soft drink makers to add a certain percentage of fruit juice;

(b) whether it adds to the nutritive value of these drinks and also helps the fruit growers in a big way;

(c) whether Government would consider following the French example;

(d) if so, by when and to what percentage; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) Ministry of Food Processing Industries has stated that, as per information available, it is mandatory in France to add a certain percentage of fruit juice for fruit based drinks but not for sweetened aerated waters.

(b) Under the Fruits Products Order and Prevention of Food Adulteration Act, there is a provision for adding a minimum 10 percent fruit juice or pulp in fruit based drinks. However, this cannot be made compulsory for sweetened aerated waters.

(c) to (e) There is no proposal to amend the distinct provisions of the Indian laws on the subject and it is not considered necessary follow the French Regulations.

भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार

1452. **श्री कपिल सिब्बल** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलें मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम में व्यापत भ्रष्टाचार, अकुशलता और लापरवाही के कारण होने वाले भारी नुकसानों को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान ढांचे में भारी सुधार करना आवश्यक समझती हैं;